उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या: 11/2022/912/94-स्टा०नि०-2-2022-700(45)/2022

लखनऊ, दिनांक : 02 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) के आधार पर उत्तर प्रदेश के 16 असेवित जिलों (बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, सन्तकबीर नगर, शामली एवं श्रावस्ती) में मेडिकल कालेज स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना के अधीन मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय की स्थापना हेतु सम्बन्धित इकाई के पक्ष में निष्पादित भूमि के अन्तरण विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क में, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में अंतर्विष्ट शर्तों के अध्यधीन, छूट प्रदान करती हैं।

2. यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :-

(क) जिला का जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त उद्योग, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

(ख) ऐसे अन्तरण विलेख के निबंधन के समय, सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (बैंक प्रत्याभूति की अवधि, योजना में यथाविहित अवधि से आगे न्यूनतम छः माह होगी), निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने की स्थिति की सूचना तत्काल जिला के जिला मजिस्ट्रेट को देगा। ऐसी दशा में, जिला मजिस्ट्रेट को बैंक प्रत्याभूति परिबद्ध करके स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करनी होगी।

परन्तु यह कि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा योजना के अधीन शर्तों का समुचित रूप से अनुपालन कर लिया गया है तो बैंक प्रत्याभूति, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा निर्मुक्त कर दी जायेगी।

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 11/2022/912/94-स्टा०नि०-2-2022-700(45)/2022 दिनांकः 02 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अशोक कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव।

संख्याः 11/2022/912/94-स्टा०नि०-2-2022-700(45)/2022 दिनांकः 02 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
6- सम्बन्धित मंडलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व)।
9- सम्बन्धित उप महानिरीक्षक निबंधन/उपायुक्त स्टम्प।
10- सम्बन्धित सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टाम्प।
11- विधायी अनुभाग-1
12- भाषा अनुभाग-5
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 11 /2022/912/94-SR-2-2022-700(45)/2022 dated : 02 September, 2022.

Notification

Order

No . 11/2022/912/94-SR-2-2022-700(45)/2022
Lucknow, Dated : 02 September, 2022

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) the Governor, from the date of publication of this notification in the Gazette, under the scheme of the State Government to establish Medical Colleges in 16 unserved districts (Baghpat, Ballia, Bhadohi, Chitrakoot, Hamirpur, Hathras, Kasganj, Maharajganj, Mahoba, Mainpuri, Mau, Rampur, Sambhal, Sant Kabir Nagar, Shamli and Shravasti) of Uttar Pradesh on Public Private Partnership (PPP) basis, is pleased to remit the stamp duty payable on the transfer deed of the land, executed in favour of the concerned unit for the establishment of medical college and attached hospital, subject to the conditions contained in the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy, 2017.

2. This remittance shall be subject to the following conditions:-

(a) District Magistrate or Deputy Commissioner Industries of the District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer deed is being executed for the purposes above-mentioned, and

(b) Irrevocable Bank guarantee (The period of the bank guarantee shall be at least six months beyond the period as prescribed in the scheme) of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of District Magistrate/Collector of the concerned district shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such transfer deed. In this regard, it shall be the liability of the Medical Education Department that it shall inform, the status of non-fulfillment of the purpose within the prescribed period, by the unit receiving such remission, to the District Magistrate of the district, immediately. In such a condition, the District Magistrate shall deposit the amount in the proper account head of the Stamp and Registration department, by impounding the bank guarantee :

Provided that, upon confirmation of the fact by the Medical Education Department that the conditions under the scheme have been properly complied with by the concerned unit, the Bank Guarantee shall be released by the District Magistrate /Collector .

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।